रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 28 जून, 1984

का०आ० 467 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ/84—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 618 (अ)/18कक/उ० वि०वि०अ०/79, तारीख 31 अक्तूबर, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग को जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स श्री सरस्वती प्रैस लिमिटेड, 11 बैरकपुर ट्रंक रोड, बेलघारिया, कलकत्ता का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध, 31 अक्तूबर, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ।

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 768 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 30 अक्तूबर, 1982 का० आ० 347(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 30 अप्रैल, 1983, का०आ० 780(अ)/18कक/उ०वि०वि० अ०/83, तारीख 29 अक्तूबर, 1983 और का०आ० 935 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, तारीख 30 जून 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तारीख 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए चलता रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर,

1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2(15)/79-सी०यू०एस०]
ए०पी०-सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1984.

S.O. 467 (E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 618(E)|18AA|IDRA|79, dated the 31st October, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, Calcutta (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs Sree Saraswati Press Limited, 11, Barrackpore Trunk Road, Belgharia, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years from the 1st October, 1979;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 768(E)|18AA|IDRA|82, dated the 30th October, 1982, S.O. 347 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th April, 1983 S.O. 780(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th October, 1983 and S.O. 935(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that is is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[F. No. 2(15)|79-CUS]
A.P. SARWAN. Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984